



नगर परिषद कालका
Municipal Council Kalka

E-mail:- eo-kalka@ulbharyana.gov.in

Landline No. 01733-220818

सार्वजनिक सूचना

क्रमांक 6953/MC/KLK

दिनांक 31-1-2026

सभी जन साधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा नगर पालिका भागीदारी अधिनियम-2008 के अर्न्तगत नगर निकाय प्रशासन/सेवा वितरण में नागरिक भागीदारी को सुदृढ करने हेतु नगर परिषद कालका में वार्ड सभाओं का गठन किया गया है। इस आशय बाबत सूचना नगर परिषद, कालका की वेबसाईट <https://www.mckalka.com> पर सभी जनसाधारण के लिये अपलोड कर दी गई है।

अतः सभी जन साधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि वार्ड के गठन से सम्बन्धित शकियों एवं उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों को विवरण हरियाणा नगर पालिका नागरिक भागीदारी अधिनियम 2008 में वर्णित है। यह अधिनियम नगर परिषद, कालका की उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है।


कार्यकारी अधिकारी,
नगर परिषद कालका।



नगर परिषद् कालका
Municipal Council Kalka

E-mail:- eo-kalka@ulbharyana.gov.in

Landline No. 01733-220818

कार्यालय आदेश

विषयाधीन मामले में सभी सम्बन्धित क्षेत्र वासियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित क्षेत्रीय समितियों की बैठक नोडल अधिकारी, परिषद अभियन्ता की देख-रेख में निम्नानुसार निश्चित की जाती है।

क्रं.सं	कमेटी सदस्य का नाम	निश्चित तारिख	वार्ड नम्बर
1	श्री नरेन्द्र सिंह लिपिक	03.02.2026	1,2,3
2	श्री सुनील कुमार	04.02.2026	4,5,6,7
3	श्री कृष्ण कुमार सहायक	05.02.2026	8,9,10,11
4	श्री मनोज कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	06.02.2026	12,13,14,15,16
5	श्री सुभाष चन्द्र, कनिष्ठ अभियन्ता	09.02.2026	17,18,19,20,21
6	श्री अजय कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	10.02.2026	22,23,24,25,26
7	श्री हितेन्द्र राठी, कनिष्ठ अभियन्ता	11.02.2026	27,28,29,30,31

कमेटी सदस्य को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित पार्षद से विचार विमर्श करके बैठक बुलाना सुनिश्चित करें तथा प्रोपर मुनीयादी करवाना सुनिश्चित करें।


कार्यकारी अधिकारी,
नगर परिषद कालका।

पृ0क्रमांक 6948-6952/एमसीकालका

दिनांक 31-1-2026

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा पंचकुला।
- 2- जिला नगर आयुक्त, पंचकुला।
- 3- प्रधान, नगर परिषद, कालका।
- 4- नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय सभी कमेटी एवं परिषद अभियन्ता, नगर परिषद कालका।
- 5- सभी सदस्य कमेटी।


कार्यकारी अधिकारी,
नगर परिषद कालका।